BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

LUCKNOW

प्रज्ञा शील करुणा

ESTABLISHED 1996

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ–226025

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

(A Central University)

Vidya Vihar, Rae Bareli Road, Lucknow-226025

पत्राकं :278 /बी.बी.ए.यू./2022

दिनांकः 27-05-2022

परिपत्र

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–**46/2022/902/26-3-2022-4(358)/07-टी०सी०।।** दिनाँक 02.05.2022, विषयक **"वित्तीय वर्ष /शैक्षिक सत्र–2022-23 हेतु प्रदेश के अंदर तथा वाह्य प्रदेश में में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से संबन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति / शुक्ल प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु समय–सारिणी निर्गत किए जाने के सम्बन्ध मे"** (पत्र व समय–सरिणी संलग्न) के अनुसार, वर्ष 2022–23 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है । इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, सरकार ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर विश्वविद्यालय के मास्टर डाटा को संशोधित (अपडेट) करने के लिए विश्वविद्यालय मे विभिन्न पाठ्यक्रमों का विवरण जैसे पाठ्यक्रम / पाठ्यक्रमों का नाम, पाठ्यक्रमों की अवधि, कोर्स शुरू करने की तारीख, वर्षवार छात्रों की कुल प्रवेश क्षमता एवं वर्षवार कुल शुल्क (कॉशन मनी को छोड़कर) आदि संलग्न प्रारूप में **bbauscstcell@gmail-com** पर **(Excel format)** एवं हस्ताक्षरित प्रति दिनाँक **06.06.2022** तक नोडल अधिकारी, (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति) को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

उपरोक्त के क्रम मे समस्त विभागा/पाठ्यक्रमों के विभागाध्यक्ष/समन्वयक से अनुरोध है कि कृपया छात्रहित को ध्यान मे रखते हुये सूचना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा सम्पूर्ण सूचना संकलित न होने की दशा मे छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन करने मे विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है ।

कुलसचिव

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।

1. समस्त विभागों/पाठ्यक्रमों के विभागाध्यक्ष/समन्वयक।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, बा०भी०अ०वि०, लखनऊ।
3. अनुभाग अधिकारी, कुलपति कार्यालय, बा०भी०अ०वि०, लखनऊ।
4. निजी सचिव, कुलसचिव, बा०भी०अ०वि०, लखनऊ।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, बा०भी०अ०वि०, लखनऊ।
6. नोटिस बोर्डध्गार्ड फाइल।

नोडल अधिकारी

(दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति)

Non Refundable Fees:-	अनुमोदित नान रिफण्डेबिल अनिवार्य वार्षिक शुल्क (वार्षिक शिक्षण शुल्क सहित) सत्र–2022–23
Selection of Students:-	सम्बंधित पाठ्यक्रम में छात्रों का चयन– विश्वविद्यालय स्तरीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर
Examination System:-	सम्बंधित पाठ्यक्रम की परीक्षा प्रणाली– सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली
Examination Number System:-	संबंधित पाठ्यक्रम की परीक्षा परिणाम प्रणाली– CGPA प्रणाली
Max. Marks:- संबंधित पाठ्यक्रम की परीक्षा परिणाम प्रणाली के आधार पर कुल वार्षिक पूर्णांक (सेमेस्टर प्रणाली होने की दशा में अंतिम दो सेमेस्टर जोड़कर)– 10	

Sr. No	Department	Course Name	Non Refundable Fees Year-1		Non Refundable Fees Year-2		Non Refundable Fees Year-3		Non Refundable Fees Year-4		Non Refundable Fees Year-5		Seat Yr-1	Seat Yr-2	Seat Yr-3	Seat Yr-4	Seat Yr-5	Max. Marks Yr-1	Max. Marks Yr-2	Max. Marks Yr-3	Max. Marks Yr-4	Max. Marks Yr-5	Affiliated Univ	Selection of Students	Examination System	Examination Number System
			Gen/OBC	SC/ST	Gen/OBC	SC/ST	Gen/OBC	SC/ST	Gen/OBC	SC/ST	Gen/OBC	SC/ST														

निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0
10 वां तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

पत्र संख्या– 271 /पि0व0क0/2022–23, लखनऊ : दिनांक 05 मई, 2022

समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय–वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022–23 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति /शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण तक हेतु निर्गत समय–सारिणी के अनुसार समयान्तर्गत कार्यवाही किये जाने संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3 शासनादेश संख्या–47/2022/902/26–3–2022–4(358)/07टी.सी.III दिनांक 02 मई, 2022 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन करने से लेकर वितरण तक की समस्त प्रक्रियात्मक कार्यवाही दो चरणों में नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित कराये जाने हेतु विस्तृत समय–सारिणी निर्गत की गयी है।

अतः दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश दिनांक 02 मई, 2022 द्वारा निर्गत समय–सारिणी की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त समय–सारिणी का जनपद स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार समय–सारिणी के समस्त बिन्दुओं का भली–भाँति अध्ययन करते हुए शैक्षिक सत्र 2022–23 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का निर्धारित समयान्तर्गत क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

05.5.2022
(डा0 वन्दना वर्मा)
निदेशक।

पृ0सं0/ 271 /पि0व0क0/2022–23/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–2
2– निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ0प्र0 को समस्त राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
3– निदेशक, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0।
4– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
7– समस्त उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार निर्गत समय–सारिणी के अनुसार निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने मण्डल के सम्बन्धित जनपदों के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों को तत्काल निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

05.5.2022
(डा0 वन्दना वर्मा)
निदेशक।

E-mail- 04.05.2022

संख्या-47/2022/902/26–3–2022–4(358)/07 टी.सी.।।।

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 02 मई ~~अप्रैल~~ 2022

विषयः **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु प्रदेश के अन्दर तथा वाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उ0 प्र0 के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु समय–सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक–233/स0क0/शिक्षा–अ/7/76/2022–23, दिनांक–22.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु प्रदेश के अन्दर तथा वाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उ0 प्र0 के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु समय–सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022–23 हेतु प्रदेश के अन्दर तथा वाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उ0 प्र0 के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु निम्नानुसार समय–सारिणी निर्गत की जाती है:–

क्र0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही (प्रथम चरण)	समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2022-23)
1	2	3
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें)। मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/ अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते	05 मई 2022 से 06 जून 2022 तक।

	हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम एवं आइस कोड (AISHE CODE) आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश] लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट ,निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, 3-प्राग नरायन रोड, कल्याण भवन, लखनऊ-226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना।	05 मई 2022 से 31 मई 2022 तक।
1बी	योजनाधिकारी (बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/ अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम] पाठ्यक्रम का प्रकार] पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क] पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये) ,पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आइस कोड (AISHE CODE) आदि सूचनाओं को अंकित करना।	05 मई 2022 से 06 जून 2022 तक। *(नोटः-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा समस्त सूचनाओं को ऑनलाईन अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जा सकता है।)*
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी (केवल नियमावली में उल्लिखित संस्थानों हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम ,पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाईन सत्यापित करना।	07 जून 2022 से 30 जून 2022 तक।
2ए	योजनाधिकारी] बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना।	07 जून 2022 से 15 जुलाई 2022 तक।
3	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता को संबंधित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा ऑनलाईन सत्यापित करना।	01 जुलाई 2022 से 21 जुलाई 2022 तक।
3ए	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की	01 जुलाई 2022 से 21 जुलाई 2022 तक।

	संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त कर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण (विश्वविद्यालय/ अफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा लॉक की गयी सीट संख्या एवं फीस से अधिक लॉक न की जाय) ऑनलाईन लॉक किया जाना।	
कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु		
4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	10 मई] 2022 से 07 जुलाई] 2022 तक।
5	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल] इण्टरमीडिएट रोल नम्बर तथा आय] जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र] लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
6	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 04 दिन के अन्दर] विलम्बतम 11 जुलाई] 2022 तक।
7	छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	15 मई 2022 से 13 जुलाई 2022 तक।
8	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा ऑनलाईन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों] शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	05 मई] 2022 से 05 दिसम्बर 2022 तक।
9	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाईन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	03 अगस्त] 2022 तक।
10	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त	14 जुलाई 2022 से 25 जुलाई 2022

	किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	तक।
11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरांत डिजिटल हस्ताक्षर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	26 जुलाई 2022 से 07 अगस्त 2022 तक।
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से लॉक डाटा के आधार पर सही (Correct) डाटा वाले छात्र/छात्राओं का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	11 अगस्त 2022 तक।
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर सही (Correct) डाटा वाले छात्रों को बैंक/कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों व बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	14 अगस्त 2022 तक।
कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं की संस्थाओं हेतु		
क्र0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही (द्वितीय चरण)	समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2022-23)
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें)। मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/ अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम] पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या] सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	11 जुलाई 2022 से 22 अगस्त 2022 तक।
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश] लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश]	11 जुलाई 2022 से 22 अगस्त 2022 तक।

	3-प्राग नरायन रोड, कल्याण भवन, लखनऊ-226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना।	
1बी	योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम] पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आइस कोड (AISHE CODE) आदि सूचनाओं को अंकित करना।	11 जुलाई 2022 से 25 अगस्त 2022 तक। *(नोटः-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा समस्त सूचनाओं को ऑनलाईन अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जा सकता हैं।)*
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी (केवल नियमावली में उल्लिखित संस्थानों हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाईन सत्यापित करना।	23 अगस्त 2022 से 26 सितम्बर 2022 तक।
2ए	योजनाधिकारी] वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर ऑनलाईन लॉक किया जाना।	26 अगस्त 2022 से 26 सितम्बर 2022 तक।
3	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता को संबंधित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा ऑनलाईन सत्यापित करना।	27 सितम्बर 2022 से 03 नवम्बर 2022 तक।
3ए	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम] पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त कर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण (विश्वविद्यालय/ अफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा लॉक की गयी सीट संख्या एवं फीस से अधिक लॉक न की जाय) आनलाइन लाक किया जाना।	27 सितम्बर 2022 से 03 नवम्बर 2022 तक।

कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण के अवशेष (Renewal) छात्र/छात्राओं हेतु		
4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	08 जुलाई 2022 से 07 नवंबर 2022 तक।
5	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा ऑनलाईन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
6	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	10 नवंबर 2022 तक।
7	छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	10 जुलाई 2022 से 15 नवंबर 2022 तक।
8	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाईन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	10 दिसंबर 2022 तक।
9	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	16 नवंबर 2022 से 01 दिसंबर 2022 तक।
10	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	02 दिसंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक।
11	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	23 दिसम्बर 2022 तक।
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर बैंक/कोषागार के ई-पेमेण्ट(e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों/बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	28 दिसम्बर 2022 तक।
दोनों चरणों के संदेहास्पद डाटा को छात्रों द्वारा सही करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के उपरांत डाटा का परीक्षण एवं डाटा सत्यापन तथा भुगतान हेतु समयावधि		

13	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र/संस्थाओं के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना तथा संस्था को अभिलेखों सहित उत्तर देना।	02 दिसम्बर 2022 से 15 दिसम्बर 2022 तक।
14	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना तथा संस्था को अभिलेखों सहित उत्तर देना।	आवेदन पत्र भरने के पश्चात् विलम्बतम 20 दिसम्बर 2022 तक।
15	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों का विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना तथा छात्र द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों को जिला कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध कराना।	03 दिसम्बर 2022 से 27 दिसम्बर 2022 तक।
16	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	28 दिसम्बर 2022 से 13 जनवरी 2023 तक।
17	जनपदीय छात्रवृति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	14 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक।
18	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	21 फरवरी 2023 तक।
19	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों/ बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	24 फरवरी 2023 तक।

नोटः–

1– उक्त समय–सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद/ उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।

2– नवीनीकरण के छात्र को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Numer) अंकित करते हुये ऑनलाईन आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में कोई अन्य सूचना नहीं भरनी होगी।

3– छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared आप्सन चुनते हुए ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय–सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (02 दिसम्बर 2022 से 15 दिसम्बर 2022 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित

कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में पूर्ण किये गये आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किये गये आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

4— संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाईन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का प्राप्तांक एवं पूर्णांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत भरना अनिवार्य होगा।

5— विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित माड़यूल पर अपलोड करेगें जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके तथा स्कूटनी के समय मिलान किया जा सके।

3— अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय–सारिणी का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2022–23 में दशमोत्तर योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by रजनीश चन्द्र

(रजनीश चन्द्र)

Date: 02-05-2022 15:44:18

विशेष सचिव।

Reason: Approved

पृ0सं0— 47 / 2022 / 902 (1) / 26—3—2022 तद्दिनांक:—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।

2— प्रमुख सचिव / सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण / अल्पसंख्यक कल्याण / वित्त / नियोजन / मा0शिक्षा / उच्च शिक्षा / तकनीकी शिक्षा / व्यवसायिक शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

3— समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

4— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5— निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।

6— निदेशक, पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

7— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

8— निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।

9— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

10— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।